Complaint Case - 1135/2025

कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।
BLOCK-A, VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013
E-mail : dfo-bokaro@gov.in & bokarodfo@gmail.com Phone No : +91-8987790304

पत्रांक :– 1235 दिनांक :– 29/07/2025

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बोकारो।

विषय :– चास वन प्रक्षेत्र का वन्यजीव अपराध प्रतिवेदन सं0–2 दिनांक–28.07.2025 समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सूचित करना है कि CISF, Bokaro के द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके आवासीय परिसर में विगत कई दिनों से एक लंगूर के द्वारा बल सदस्य, उनके बच्चों एवं महिलाओं पर हमला किया जा रहा है। उक्त के आलोक में दिनांक–26.07.2025 को प्रातः लगभग 10:30 बजे सेक्टर–11, बोकारो क्षेत्र में एक आक्रामक लंगूर को सुरक्षित रूप से पकड़ने हेतु वन विभाग, बोकारो एवं राँची चिड़ियाघर की संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान जब लंगूर को पिंजरे में सुरक्षित बंद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी वक्त तीन अभियुक्त (1) श्रीकांत मास्टर (2) अरविन्द कुमार (3) मंटू सिंह द्वारा लंगूर पर लाठी–डंडों से प्रहार किया गया, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के धारा–2 के उप धारा–16 के तहत् "आखेट" माना गया है। अभियुक्तों द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की धारा–9, धारा–11 एवं धारा–12 का उल्लंघन किया गया है। लंगूर अनुसूची–II में क्रम सं0–24 में उल्लेखित अधिसूचित वन्य प्राणी है। घटना की विस्तृत जाँचोपरान्त परिवाद पत्र माननीय न्यायलय को शीघ्र समर्पित की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि अभियुक्त के विरूद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के सुसंगत धाराओं के तहत वाद दर्ज करने की कृपा की जाए।

अनु0–वन्यजीव अपराध प्रतिवेदन

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

C.P. 1135/25
29/7/25

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम अपराध प्रतिवेदन

(झारखण्ड वन विभाग)

1. वन क्षेत्र तथा वन प्रमण्डल का नाम	: चास वन प्रक्षेत्र, चास (बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो)
2. वन अपराध संख्या तथा तिथि	: सं0–2 दिनांक–26.07.2025
3. जप्ती का स्थान	: लागू नहीं
4. जप्ती तथा अपराध की तिथि	: 26.07.2025
5. जप्त किए सामान का विवरण	: लागू नहीं
6. अपराध का प्रकार एवं धाराएँ	: वन्यजीव संरक्षण (यथा संशोधित) अधिनियम, 1972 की धारा–9, 11 एवं 12
7. अपराधी का नाम, पिता का नाम एवं पता	: (1) श्रीकांत मास्टर, सेक्टर–11C, बोकारो (2) अरविंद कुमार, सेक्टर–11D, बोकारो (3) मंटू सिंह, गृह रक्षक जवान सैन्य सं0–2082
8. क्या अपराधी को गिरफ्तार किया गया, अगर हाँ, तो किसके द्वारा	: नहीं
9. अपराधी के गिरफ्तारी का स्थान एवं समय	: सेक्टर–11, दिनांक–26.07.2025 को प्रातः लगभग 10:30 बजे
10. गवाहों का नाम एवं पता	: (1) रतन राय, वनरक्षी, चास वन प्रक्षेत्र, चास (2) निताय चन्द्र महतो, वनरक्षी, गोमिया वन प्रक्षेत्र, गोमिया
11. क्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव/ अधिकृत अधिकारी को सुचना दि गयी थी	: हाँ
12. जप्त सामान का जिम्मा किसे सौंपा गया	: लागू नहीं
13. अपराध का विवरण	: लंगूर पर लाठी–डंडों से प्रहार करना।

न्यायालय को अपराध रिर्पोट भेजने वाले
अधिकारी का नाम व पदनाम

D-T.C

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

विषय :– **अनुसूची–II में संरक्षित वन्य प्राणी (लंगूर) के साथ मारपीट एवं क्रूरता किए जाने के संबंध में प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन–2 समर्पित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सूचित करना है कि मैं, भगवान दास हेम्ब्रोम, वनरक्षी, चास वन क्षेत्र, बोकारो वन प्रमंडल, आपके समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दिनांक 26.07.2025 को प्रातः लगभग 10:30 बजे सेक्टर–11, बोकारो क्षेत्र में एक आक्रामक लंगूर को सुरक्षित रूप से पकड़ने हेतु वन विभाग, बोकारो एवं रांची चिड़ियाघर की संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

उक्त अभियान के दौरान जब लंगूर को पिंजरे में बंद किया जा रहा था, तभी तीन स्थानीय व्यक्तियों :–

1. श्रीकांत मास्टर, सेक्टर–11C, बोकारो।
2. अरविंद कुमार, सेक्टर–11D, बोकारो।
3. मंटू सिंह, गृह रक्षक जवान सैन्य सं0–2082

द्वारा उत्तेजना की स्थिति में आकर लंगूर पर लाठी–डंडों से प्रहार किया गया। यह कृत्य एक संरक्षित वन्य जीव के साथ क्रूरता का स्पष्ट उदाहरण है। यह अधिनियम की धारा 9 (शिकार पर प्रतिबंध), धारा 11 (अत्यावश्यक परिस्थितियों में शिकार) एवं धारा 12 (विशेष अनुमति द्वारा अपवाद) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दंडनीय है, चूँकि लंगूर अनुसूची–II में अधिसूचित संरक्षित प्राणी है।

उक्त घटना का वीडियो आम जनता द्वारा रिकॉर्ड किया गया है जो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो चुका है। वीडियो तथा मौखिक गवाहों के आधार पर उपरोक्त तीनों आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस अपराध को संज्ञान में लेकर आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी बोकारो वन प्रमण्डल
क्रमांक 3411
दिनांक 28/07/2025

आपका विश्वासी,

28/07/2025

(भगवान दास हेम्ब्रोम)
वनरक्षी, चास वन क्षेत्र,
बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।

Scanned with OKEN Scanner